न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या :–122/2022 पुराना 125/2020
प्रकरण रज्जु दिनांक :– 11.08.2020
निर्णय दिनांक :– 24.8.2023

प्रकरण अंतर्गत धारा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रकरण का उनवान
रामफूल पुत्र रामकुंवार जाति मीना नि .ऐचेडी तह.बसवा वगैरह

(प्रार्थीगण)

बनाम

कुशाला पुत्र छोटया जाति मीना निवासी ऐचेडी तह.बसवा वगैरह

(अप्रार्थीगण)

–: निर्णय वास्ते तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा :–

दिनांक :– 24.8.2023

पत्रावली पेश हुई । वादीगण द्वारा एक दावा वास्ते तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का न्यायालय हाजा में पेश किया कि भूमि खाता संख्या नया 266 पुराना 260 आराजी खसरा नंबर 921 रकबा 0.13 हैक्टयर, 922 रकबा 0.07 हैक्टयर, 923 रकबा 0.29 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.49 हैक्टयर भूमि मुतदाविया है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 एक ही कुटुंब के सदस्य हैं । भूमि वादग्रस्त में वादीगण प्रत्येक हिस्सा 1/12 के खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रतिवादी संख्या 01 हिस्सा 1/3 प्रतिवादी संख्या 02 हिस्सा 1/12 प्रतिवादी संख्या 03 हिस्सा 1/12 प्रतिवादी संख्या 04 हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार हैं । भूमि वादग्रस्त का अभी तक विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है । भूमि वादग्रस्त को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 ने मौके पर खेती करने के लिये बाहमी बांट रखी है जिसके अनुसार आराजी खसरा नंबर 922 पर वादीगण तथा खसरा संख्या 923 पर प्रतिवादी संख्या 01 कुशाला तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 खसरा संख्या 921 और 923 पर अपने अपने हिस्से अनुसार खेती करते आ रहे हैं वर्तमान में भी पक्ष कारान ने इसी प्रकार बाजरे की फसल बोई है जो सरसब्ज खडी है । भूमि वादग्रस्त का अभी तक विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है इस कारण वादीगण को अपनी जोत में सुधार करने एवं राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिये जारी लाभ से वंचित होना पड रहा है । वादीगण भूमि वादग्रस्त में अपने हिस्से अनुसार मौका पर कब्जा अनुसार विधिवत तकास्मा कराने का अधिकारी है । वादीगण के हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

की भूमि का विधिवत मौके पर कब्जा अनुसार तकास्मा किया जावे । अलग–अलग खाता पर्चा कायम करवाना न्यायोचित है । अतः अलग अलग खाता कायम करवाया जावे व तकास्मा किया जावे ।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई । उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई । उभय पक्षकारान ने प्राथमिक डिक्री का तकास्मा करवाये जाने का निवेदन किया । हमने वादी वादपत्र संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । उभयपक्षकारान वकील की बहस पर मनन किया गया । वादपत्र में अंकित भूमि वादग्रस्त राजस्व जमाबंदी में पक्षकारान की सहखातेदारी में दर्ज है । सहखातेदारान को अलग–अलग खाता करवाने का अधिकार विधिक रूप से प्राप्त है । अतः हम प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित समझते हैं । इसी क्रम में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 6.1. 2022 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गई । साथ ही तहसीलदार बसवा को प्राथमिक डिक्री जारी करके निर्देश दिये गये कि खातेदारान के मध्य सरस नरस रास्ते आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, जहां तक संभव हो वहां काबिज हैं के अनुसार विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विभाजन कर बरंग सुर्ख नक्शा के कुरेजात भिजवावें । प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसीलदार को कुरेजाते प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई ।

तहसीलदार बसवा द्वारा उनके पत्रांक भू.अ./2022/6454 दिनांक 11. 5.2022 के द्वारा प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में कुरेजात तैयार करके न्यायालय हाजा को भिजवावें । किंतु उभय पक्षकारान द्वारा प्राप्त कुरेजात पर आपत्ति प्रस्तुत की गई । लिहाजा पुनः नियमानुसार कुरेजात तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार बसवा को निर्देशित किया गया ।

तहसीलदार बसवा द्वारा पुनः कुरेजात उनके पत्रांक भू.अ. /2022/9419 दिनांक 17.8.2023 के द्वारा नियायालय हाजा को भिजवावें । प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया एवं वकील उभयपक्षकारान को सुना गया । वकील उभय पक्षकारान द्वारा प्राप्त कुरेजात को अंतिम डिक्री से निर्णित करने पर सहमति प्रदान की ।

प्राप्त कुरेजात तहसीलदार बसवा द्वारा पक्षाकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूपे राजस्व रिकोर्ड के बनाया जाना प्रकट होने एवं स्थित पक्षाकारों की सहमति से स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होने से प्राप्त कुरेजात स्वीकार किया जाकर निम्न अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है :–

उपखण्ड अधि[illegible]
बसवा (दौसा)

हाल जमाबंदी के अनुसार खातेदारान विवरण –खाता संख्या 266

क्रम	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा
1.	कुशाला पुत्र छोटया हि.1/3 बिला रहन, गंगासहाय पुत्र गोविन्दा हि.1/3 राहिन हि.1/3, रामदयाल, कालूराम, लक्ष्मीनारायण, धनपाल पित्ररामचन्द्र, तेजा पत्नी स्व. रामचन्द्र,रतनलाल पुत्र पून्या हि. 1/12 बिला रहन, राजेन्द्रप्रसाद पुत्र पून्या हि.1/12 राहिन केंद्रीय सहकारी बैंक लि. शाखा बांदीकुई रामफूल पुत्र रामकुंवार हि. 1/12 राहिन दौसा केंद्रीय सहकारी बैंक लि. शाखा बांदीकुई, लोहडया पुत्र रामकुंवार हि. 1/12 जाति मीना सा.देह खातेर बिना रहन	921	0.13 चाही ए
		922	0.07 चाही ए
		923	0.29 चाही
		कुल किता 3	कुल रकबा 0.49 हैक्टयर

वर्तमान कुरेजात प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित खातेदारी

क्रम	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	कुशाला पुत्र छोटया जाति मीना सा.देह खातेदार	921/1 923/3	0.0650 0.0983	चाही ए चाही ए
		किता 2	0.1633 है	
2	गंगासहाय पुत्र गोविन्दा जाति मीना सा.देह खातेदार राहिन हि. पूर्ण रामदयाल बालूराम लक्ष्मीनारायण धनपाल पि. रामचंद्र तेजा पत्नी स्व. रामचन्द्र	922/2 923/2 923/4	0.0600 0.0200 0.0833	चाही ए चाही ए चाही ए
3	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र पून्या हि.1/2 राहिन दौसा केंद्रीय सहकारी बैंक लि. शाखा बांदीकुई रतनलाल पुत्र पून्या हि.1/2 जाति मीना सा.देह खातेदार	921/2 923/5	0.0650 0.0166	चाही ए चाही ए
		किता 2	0.0816	
4	रामफूल पुत्र रामकुंवार हि. 1/2 राहिन दौसा केंद्रीय सहकारी बैंक लि.शाखा बांदीकुई लोहडया पुत्र रामकुंवार हि. 1/2 जाति मीना सा.देह खातेदार	922/1 923/1	0.0100 0.0718	चाही ए चाही ए
		किता 2	0.0818	

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे विधिवत अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार बसवा को तहरीर जारी हो। निर्णय आज दिनांक 24.8.2023 को खुले न्यायालय मे लिखा जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(डॉ.नवनीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी बसवा
जिला दौसा